बिहार सरकार
वित्त विभाग
अधिसूचना

पत्रांक- एम-4-48/2015(खंड)-8327 (वि०) पटना, दिनांक- 20.10.17

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उपनियम-(xx) के बाद निम्नलिखित उपनियम-(xxi) जोड़ा जाएगाः-

''(xxi) निविदा प्रक्रिया की विहित अर्हता, शर्तो एवं विशिष्टियों को पूर्ण करने वाली महिलाओं/महिला स्वयं सहायता समूहों को अन्य न्यूनतम डाककर्त्ता के समतुल्य उनकी बोली होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जायेगी।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-48/2012(खंड-)-8327 (वि०) पटना, दिनांक- 20.10.17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-48/2012(खंड-)-8327 (वि०) पटना, दिनांक- 20.10.17

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ पेषित।

ह०/-
सचिव (व्यय)